

अपील के साथ डि. नं. 9/912 को
पेय हो।

9/912 वल्लभ पत्रिका के अपील उच्च न्यायाधीश को
अपील के साथ डि. नं. 30/912 को
पेय हो।

23.9.21 पराजित राजा कापील के अपील पर
पर राज खिन्ने से तलब की गई। अपील
व रेसो. द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस
आराप का पेय किया गया कि अपीलान्त
व रेसो. डे. के मध्य राजीनामा होगा।
अपील की अपील खींचा दिए जाने में
मिन असल रेसो. डे. को कोई आपत्ती नहीं
है। साथ ही मह. भी अंका दिया गया कि
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अहित आलोच्य
निर्णय व त्रामिड डिवी को निरस्त कर
मोडे, अजे व राज ख खेडि के अमुयार
वकाए राजीनामा निर्णय व त्रामिड डिवी जारी
दिए जाने में तथा अधीनस्थ न्यायालय को
पराजित रिमांड दिए जाने में फाकारान
को कोई आपत्ती नहीं है। दो तंत्रावेता पर भी। नि
प्रजाजली पर अपीलान्त संख्य
01, 03 व 04 को हकाफत लिए। अपीलान्त लेख्य
02 की ओर से अपीलान्त आविस्त्रों द्वारा
राजीनामा की सहमति दी गई। रे. संख्य। अजा
03 उपस्थित।

द्वारा अपीलान्त रेसो. डे.
द्वारा सभी फाकारान की फाकारान

21/9/21
मुराव
पं. सु.
अपील की फाकारान
द्वारा अपीलान्त
की ओर से
15. फेब
वा. 13

21/9/21
जय राज



रेगिस्ट्रार / उपारक्षी
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म को तारीख में
जारी हुए

तारीख
हुक्म

रिमाण्ड प्रदाना चाहते जिल पर सभी
स्कोडेण्डज से कोई अपचि न्ही है,
वल लहमते थवल सी है।

इस सटमते के आधार

पर यह निर्णय पाते किया जाता
है कि अदालत मातहत के निर्णय
व फासुल डिब्री दिनांक 02.11.2016
संशोधित निर्णय व डिब्री दिनांक 14.11.16
के रूप संख्या 1/189/2016 के निर्णय
को निरस्त किया जाता है। प्रसखली
अदालत मातहत को इस निर्देशों के
साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उन
पत्रकारों को खुदर/कुखरई का
उचित शकधर केर सटमते के
अनुषार कुरैजत। विभाजन प्रदाज
केपर स निविष्ट निर्णय व
डिब्री पाते करे। निर्णय को
उगलाव द्वारा गया। प्रसखली
को इसी स्तर पर निर्णित किया
जाकर दफतर सवित किया जाओ
नम्बर से इस हो। ६

रान